न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 7/2022 (GCMS No. 2022/8) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. उग्रसैन पुत्र श्री खजान सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पिदावली उप तहसील कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर राज.

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर राज.।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 18.02.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर बाडी प्रकरण संख्या 120/2021 उनवानी राज. सरकार बनाम उग्रसेन एवं न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 06.12.2021 मुकदमा नं. 57/21 उनवानी उग्रसैन बनाम राज. सरकार।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री रामअवतार गौड़, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक : 07.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 06.12.2021 एवं नायब तहसीलदार कंचनपुर के आदेश दिनांक 18.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा सम्वत् 2077 में आराजी खसरा नम्बर 1691/416 रकवा 1 बीघा किस्म सिवायचक वांके ग्राम गडरपुर पटवार मण्डल पिदावली तहसील बाडी पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार कंचनपुर को प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार कंचनपुर बाडी ने पूर्व अतिक्रमी मानते हुये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 से लगान का 50 गुना पेनल्टी लगाकार बेदखल कर दण्डित कर दिया गया। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर धौलपुर के यहां पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.12.2021 को खारिज कर दिया गया। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर बाडी एवं जिला कलक्टर धौलपुर का अपीलाधीन आदेश साक्ष्य एवं कानून के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। नायब तहसीलदार कंचनपुर बाडी ने अपीलांट का जबाब से पूर्व मौहर प्रिन्ट आदेश से बेखदली आदेश पारित किया। पुनश्चः के बाद जबाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की उनका निर्णय में कोई अंकन नहीं किया गया और मनमाने ढंग से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर निर्णय पारित किया गया है। नायब तहसीलदार कंचनुपर बाडी ने पटवारी हल्का का बयान नहीं लिया गया और न अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार भूमि सिवायचक काबिल काश्त हो, पुराना कब्जा हो तो जांच के बाद विनियमन की सिफारिश की जानी चाहिए। अपीलांट का 20 साल पुराना कब्जा है। लधु कृषक की श्रेणी में आता है। भूमि काबिल विनियमन योग्य है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा गलत निर्णय पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ओदश दिनांक 18.02.2021 नायब तहसीलदार कंचनपुर बाडी एवं दिनांक 06.12.2021 जिला कलक्टर धौलपुर निरस्त फरमाये जावें।
5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। नायब तहसीलदार व जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो सही है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है कि वे 20 वर्षों से विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त में हैं। नियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार कंचनपुर में नोटिस अन्तर्गत धारा 91 का जबाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। पटवारी हल्का पिदावली द्वारा खसरा नं. 1691/416 रकवा 1 बीघा राजकीय भूमि पर अपीलांट द्वारा सरसों की काश्त कर संवत् 2077 में रबी फसल में अतिक्रमण की रिपोर्ट नायब तहसीलदार कंचनपुर न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का नोटिस जारी किया, जिसकी तामील स्वयं अपीलांट के पुत्र को हुई। न्यायालय में अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर पेनल्टी कायम कर बेदखली, शास्ती एवं फसल नीलामी की कार्यवाही की गई। अपीलांट द्वारा फसल नीलामी/पेनल्टी की राशि भी जमा कराई गई है। अपीलांट द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे अपीलांट के अतिक्रमण नहीं करने की पुष्टि होती हो। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने धारा 91 नोटिस का जबाब पेश किया है जिसमें उसने विनियमन करने की सिफारिश करने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि सरकारी भूमि मानते हुये खारिज किया गया। अपीलांट पुराने कब्जे के आधार पर विनियमन खातेदारी अधिकार चाहता है। धारा 91 कार्यवाही अन्तर्गत विनियमन खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हो सकते हैं। विनियमन की कार्यवाही पृथक से की जाती है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से हम कतई सहमत नहीं हैं तथा विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा दिये गये तर्क उचित, सारवान एवं प्रमाणिक हैं जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 एवं 06.12.2021 यथावत रखे जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर
भरतपुर